# भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

**भूमि उच्छेद वाद सं0–03/2016–17**

**अंचल अधिकारी, गोड्डा**

**बनाम्**

**पटवारी मराण्डी**

| दिनांक | पदाधिकारी का आदेश | अभ्युक्ति |
|---|---|---|

## आदेश

28.4.17

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष द्वारा पक्ष रखा गया है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक– 934/रा0, दिनांक–29/06/2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा– गंगटा खुर्द, थाना नं0– 515, ज0 नं0–51, दाग नं0–1086/1386, रकवा–00–01–10 धुर जमीन जो खतियान में देवान हाँसदा वगैरह वर्त्तमान जमाबंदी रैयत जयनारायण हाँसदा वगैरह, पे0–रामकाश हाँसदा साकिन– गंगटा खुर्द, जिला–गोड्डा के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, गोड्डा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री पटवारी मराण्डी द्वारा दाग नं0–1086 रकवा–00–01–10 धुर आदिवासी भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर घर बना लिया गया है।

अवैध दखलकार को नोटिश किया गया। श्री पटवारी मराण्डी, पिता–बड़का मराण्डी, ग्राम– गंगटा खुर्द, जिला–गोड्डा द्वारा वकालतन हाजरी दिया गया है।

पटवारी मराण्डी द्वारा पक्ष रखा गया है। पटवारी मराण्डी का कहना है कि 00–01–10 (एक कट्ठा दस धुर) जमीन गोकुल मराण्डी, ग्राम–सबलपुर, थाना–सुन्दरपहाड़ी को खतियानी रैयत प्रधान हाँसदा द्वारा कुर्फानामा से 1934 में दिया गया। गोकुल मराण्डी द्वारा उक्त भूमि में मकान बनाया गया। गोकुल मराण्डी की मृत्यु के उपरान्त यह भूमि बड़का मराण्डी के कब्जे में आया जिनके द्वारा पक्का मकान बनाया गया। बड़का मराण्डी की मृत्यु के उपरान्त पटवारी मराण्डी का जमीन एवं मकान पर कब्जा हुआ एवं वे सपरिवार शांतिपूर्वक रहते है। नगर पंचायत को टैक्स देते है एवं बिजली विभाग को बिल देते है। उनके द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त परिस्थिति में स्पष्ट है कि पटवारी मराण्डी, पिता–बड़का मराण्डी, ग्राम– गंगटा खुर्द, जिला–गोड्डा द्वारा जालसाजीपूर्वक आदिवासी भूमि को कब्जा किया गया है।

भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 20 के अनुरूप नहीं है।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि अवैध रूप से अन्तरित एवं दखल कब्जा किये गये भूमि के उच्छेद का आदेश दिया जाता है। अंचलाधिकारी, गोड्डा अवैध रूप से दखल किए गए भूमि का उच्छेद कर वर्त्तमान जमाबंदी रैयत को दखल दिलाना सुनिशचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।